रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 291] नई दिल्ली, शनिवार, जून 26, 1976/आषाढ़ 5, 1898

No. 291] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 26, 1976/ASADHA 5, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

ORDER

New Delhi, the 26th June 1976

S.O. 434(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Assam Sillimanite Limited (Acquisition and Transfer of Refractory Plant) Act, 1976 (22 of 1976), the Central Government, on being satisfied that the Hindustan Steel Limited, being a Government company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at Ranchi in the State of Bihar, is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government may impose, hereby directs that the right, title and interest of the Assam Sillimanite Limited in relation to the Refractory Plant shall, instead of continuing to vest in the Central Government, vest in the said Hindustan Steel Limited on the 11th day of February, 1976.

[No. 24(2)/76-COY.(I)]

S. N. ACHARYA, Jt. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 जून, 1976

का० आ० 434 (अ).—आसाम सिलिमेनाइट लिमिटेड (रिफ़ेक्ट्री अन्यत्र का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 22) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित एक कम्पनी है, और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बिहार राज्य में रांची में है, ऐसे निबन्धनों और शर्तों का अनुपालन करने के लिए, इच्छुक हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधिरोपित करें, निदेश करती है कि रिफ़ेक्ट्री संयंत्र के सम्बन्ध में आसाम सिलिमेनाइट लिमिटेड, का अधिकार, हक और हित, केन्द्रीय सरकार में निहित बने रहने के बजाय, 11 फरवरी, 1976 को उक्त हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, में निहित होगा।

[सं० 24(2)/76—सी० ओ० वाई० (I)]

श्री नारायण आचार्य, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976